शीर्ष प्राथमिकता / अति महत्वपूर्ण

संख्या : बी–2– 2473 / दस–2010–244(5) / 2010–II

प्रेषक,

अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनाँक : 18 अगस्त, 2010

विषयः प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त विषयक समय–समय पर जारी शासनादेशों के क्रम में राज्यपाल महोदय ने निम्नवत् आदेश देने की कृपा की है :

(1) वित्तीय वर्ष 2010–2011 में बजट/अनुपूरक बजट प्रावधानों के अन्तर्गत सभी वित्तीय स्वीकृतियां दिनांक 28 फरवरी, 2011 तक जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाय । उक्त तिथि के पश्चात् वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं की जायेंगी, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जिनमें केन्द्र सरकार तथा केन्द्रीय संस्थाओं आदि से वित्तीय स्वीकृतियां उक्त तिथि के बाद प्राप्त हों ।

(2) वित्तीय वर्ष 2010–2011 में वित्तीय स्वीकृतियाँ वर्ष की शेष अवधि में व्यय / वास्तविक उपयोग हेतु आवश्यक धनराशि की सीमा तक ही जारी की जांय । वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष धनराशियों को पी.एल.ए. / डिपाज़िट खातों में जमा नही किया जायेगा । लेकिन विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्वीकृत धनराशि पूर्ववत् डी.आर.डी.ए. के वैयक्तिक लेखा खाते में स्थानान्तरित करके व्यय की जायेगी ।

(3) जिन विभागों के आयोजनागत पक्ष के बजट में वर्ष 2010–2011 के प्लान परिव्यय से अधिक व्यवस्था की गई है, उनके प्लान परिव्यय की सीमा से अधिक बजट को फ्रीज़ कर दिया जाय ।

(4) निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणनों के परीक्षणोपरान्त ही प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जांय ।

(5) विभिन्न परियोजनाओं के लिए अवमुक्त किश्त की राशि का 75 प्रतिशत अंश उपयोग होने और कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होने पर ही अगली किश्त अवमुक्त की जाय ।

(6) रिसोर्स लिंक्ड योजनाओं तथा केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के लिए प्रावधानित धनराशियों का किसी भी दशा में नॉन–रिसोर्स लिंक्ड परियोजनाओं के लिए पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा ।

(7) पी.एल.ए. / डिपाज़िट खातों में दिनाँक 31 मार्च, 2010 तक अन्तरित धनराशियों के समक्ष अवशेष धनराशियों, यदि कोई हों, तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के विपरीत यदि बैंक और डाकखाने में जमा धनराशियों को तत्काल राजकोष में जमा किया जाय ।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को भी तद्नुसार निर्देशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(अनूप मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या : बी–2– 2473(1)/दस–2010–244(5)/2010, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
2. प्रमुख सचिव, विधान परिषद / विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
6. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी ।
9. वित्त विभाग के समस्त व्यय–नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लहरी यादव)
बजट अधिकारी एवं
विशेष सचिव